कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षें एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर—19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर—492002 (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक — भू-प्रबंध)

दूरभाषः 0771 — 2512840

ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/खनिज/244/17-9/

रायपुर, दिनांक 22/07/2024

प्रति.

अपर मुख्य सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर

विषय:--

Proposal for seeking prior approval of the Central Government under Section 2 (1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in favour of M/s South Eastern Coalfields Limited (SECL) for non-forestry use for renewal of diversion of 33.84 ha broken up forest land (out of total 424.429 ha. Of forest land in lease area) in respect of Deepika Expansion open cast mining Project in favour of M/s SECL in Korba District, of Chhattisgarh (Online Proposal No. FP/CG/MIN/1461/2006) - reg.

संदर्भ:-

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/8-08/2006-FC दिनांक 16-01-2024
- 2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक 4851 दिनांक 22.07.2024

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

संदर्भित पत्र—1 के माध्यम से प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 16.01.2024 द्वारा 02 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

उक्त के अनुक्रम में मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा संदर्भित पत्र -2 के माध्यम से बिन्दुवार जानकारी प्रेषित की गई है, जो निम्नानुसार है:-

S.L.	EDS Sought by MoEF&CC	Compliance
No		
~	As per the conditions of Stage-I approval, the Compensatory Afforestation is to be done on non-forest land. Further, as per communications submitted with the reply, the state of Madhya Pradesh has informed that the non-forest land earlier identified for CA against the instant project has been used for the Compensatory Afforestation in case of other projects. Keeping this in view the State/User agency is required to provide suitable non-forest land for Compensatory Afforestation as stipulated in the Stage-I approval.	

	-	<u> </u>
S.L.	EDS Sought by MoEF&CC	Compliance
No		The DGPS Survey Report and CA Sccheme for the ACA Land has been prepared. The ministry may kindly consider the proposal for Stage-II PC of 33.84 Ha. with the condition that the non-forest area identified for ACA to be notified as PF under section 29 of the Indian Forest Act, 1927 before
	ਹੈ। ਜ਼ਰੂ ਹੈ ਜੀ ਸਕ ਟਾਹਾ ਹੈ	handover of the forest land to User Agency. कल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे

टीप:--

आवेदक संस्थान, एस.ई.सी.एल. द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोट एवं खसरावार विवरण वन मंडलाधिकारी, कोरिया वन मंडल को उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः संदर्भ पत्र—1 के अनुक्रम में मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त से प्राप्त 02 बिन्दुओं की अतिरिक्त

जानकारी अनुशंसा सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-

उपरोक्तानुसार (02 प्रतियों में)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू — प्रबंध/वन (सं एवं सं) अ.) छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 22/07/2024

पृ. क्र0/भू-प्रबंध/खनिज/244/1792 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

- मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
- 2. वन मंडलाधिकारी, कटघोरा वन मंडल, कटघोरा, छत्तीसगढ़।
- महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल, दीपिका क्षेत्र, जिला कोरबा।

8

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू – प्रबंध/वन (सं एवं सं) अ.) छत्तीसगढ़